सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों के प्रकरणों पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 13.03.2024 का कार्यवृत्त

उपस्थिति– संलग्न।

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर परामर्श हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल), उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी एवं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट) के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इन निगमों के प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने–अपने अधीनस्थ निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यदायित्व निगमों मे सृजित पद के सापेक्ष रिक्त पद एवं भरे पद, निगम के आय के स्रोत, व्यय के मद तथा निगमों के विगत वर्षों की बैलेंसशीट आदि के सम्बन्ध में विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रशासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध विवरण के आधार पर समिति द्वारा निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के हित में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया–

2– सिडकुल में कार्यरत स्थायी कामिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति पुनरीक्षित मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता प्रदान किया जाना–

(1) उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराया गया है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–55, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता दिनांक 01 फरवरी, 2019 से लागू किया गया है। सिडकुल के निदेशक मण्डल की 50वीं बोर्ड बैठक में सिडकुल में कार्यरत स्थायी कामिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान मे कार्यरत कार्मिकों को पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता का लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रतिमाह/वार्षिक व्यय भार का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0स0	विवरण	प्रतिमाह व्ययभार	वार्षिक व्ययभार
1.	वर्तमान दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता	रू0 1,44,525/–	रू0 17,34,300/–
2.	पुनरीक्षित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता	रू0 2,45,950/–	रू0 29,51,400/–

(2) वर्तमान मे सिडकुल मे मकान किराया भत्ता 6वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जा रहा है, जिसमे मकान किराया भत्ता शहर की श्रेणी के अनुसार ग्रेड पे का 75 प्रतिशत् अथवा 50 प्रतिशत् दिया जा रहा है। सिडकुल को पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने पर आने वाला समस्त व्यय भार को सिडकुल द्वारा वहन किया जाना है तथा राज्य सरकार पर कोई व्ययभार सृजित नहीं होना है। सिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का लेखा विवरण उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव निदेशक मण्डल से अनुमोदित है। साथ ही प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति –

सिडकुल में कार्यरत स्थायी कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित मकान किराये भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

3– उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

(1) उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराया गया है उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम स्वायत्तशासी संस्था है तथा अपने स्थापना वर्ष से अद्यतन लाभ की स्थिति में है। उक्त निगम में कार्यरत सरकारी कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने पर सृजित होने वाले कुल वार्षिक वित्तीय व्यय–भार रू0 47,50,293.00 को पूर्णतः निगम द्वारा ही वहन किया जाना है। इस सम्बन्ध में निगम की विगत 02 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्सशीट, विगत 02 वर्षों का आय–व्यय का विवरण एवं सातवें वेतनमान की अनुमन्यता की स्थिति में आने वाला वार्षिक व्यय–भार के क्रम में पिछले 04 वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की सूचना/विवरण उपलब्ध कराये गये है।

(2) उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम का संरचनात्मक ढांचा राज्य स्तरीय है। निगम के अन्तर्गत पदों का विवरण संलग्न है। उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम पर शासन अथवा अन्य की कोई ऋण/देनदारी नही है। निगम को राज्य सरकार से कोई ग्रान्ट आवंटित नही की गयी है। प्रकरण निगम के संचालक मण्डल से अनुमोदित है। वित्त विभाग द्वारा प्रकरण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का परामर्श दिया गया है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति –

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिये जाने के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

समिति द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–291, दिनांक 19.12.2016 एवं शासनादेश संख्या–289, दिनांक 27.12.2016 के क्रम में बोर्ड के माध्यम से पुनः परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्र0वि0 को उच्चाधिकार समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

4– उत्तराखण्ड स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी के कार्मिकों को संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

(1) उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें

– में

11/2024

वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ऐजेंसी के नियमित कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (MACP) अनुमन्य किया जाना है। उक्त ऐजेंसी द्वारा स्वयं के संसाधनों से ही अपने कार्मिकों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है तथा आज तक कोई भी वित्तीय सहायता राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गयी है। वर्ष 2022 की प्रथम छमाही तक 09 कार्मिक MACPS की पात्रता पूर्ण करते है, इन कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने के उपरान्त एजेन्सी पर लगभग रूपये 21014.00 प्रतिमाह व्ययभार पड़ेगा।

(2) संशोधित ए0सी0पी0 का भुगतान एजेंसी द्वारा स्वयं के स्रोतों से ही किया जाना है। एजेन्सी की दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को सम्पन्न प्रबन्ध कारिणी परिषद् की 52वीं बैठक में एजेन्सी के नियमित कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) की अनुमन्यता हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में एजेन्सी के पास कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा एजेन्सी कार्मिकों के व्यय–भार को वहन करने के सक्षम है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति –

उत्तराखण्ड स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी के कार्मिकों को संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर यथा प्रकिया सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

5– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट) में फ्रीज पदों को अनफ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

(1) उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराया गया कि यू–कॉस्ट के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में दिनांक 09 मई, 2018 को आहूत सार्वजनिक उद्यम विभाग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस इस निर्देश के साथ सहमति प्रदान की गयी थी कि यू–कॉस्ट में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पद पर भर्ती/चयन की कार्यवाही न की जाय। यदि परिषद संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाय।

(2) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों के अनुरूप ही मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा उक्त शर्त को समाहित करते हुए संस्था यू–कॉस्ट में सातवां वेतनमान अनुमन्य किया गया। मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त आदेश, दिनांक 14 अगस्त, 2018 के क्रम में शासनादेश

... शासन की अध्यक्ष

संख्या–22 दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यू–कॉस्ट) के अस्थाई/प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात कार्मिकों को सातवें वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के सहमति के उपरान्त प्रदान की गयी है।

(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यू–कॉस्ट का ढांचा शासनादेश संख्या–494 दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 के द्वारा सृजित किया गया है, जिसमें 41 पद सृजित हैं, जिनमें से आतिथि तक 06 पद–अर्थात परियोजना अधिकारी–01 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी–01 पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी–02 पद, लेखाकार–01 पद रिक्त हैं। उक्त पदों को भरने हेतु औचित्य दिया गया है कि परिषद की गतिविधियों के राज्य के सभी जिलों में फैलाव के कारण कार्यकलापों में हो रही निरंतर वृद्धि को देखते हुए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः वर्तमान में यू–कॉस्ट के पदीय ढांचे में सृजित 41 पदों के सापेक्ष रिक्त 06 पदों पर भर्ती प्रकिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2019 जिसके द्वारा यू–कॉस्ट में सीधी भर्ती के फ्रीज रिक्त पदों को अनफ्रिज किये जाने हेतु प्रकरण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनफ्रिज किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है एवं यू–कॉस्ट के समान निकाय की बैठक दिनांक 18.01.2024 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदित है। यद्यपि प्र0वि0 द्वारा वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त नहीं किया गया है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति –

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट) में पदीय ढांचे में सृजित 41 पदों के सापेक्ष रिक्त 06 पदों पर भर्ती प्रकिया प्रारम्भ किये जाने हेतु फ्रीज पदों को अनफ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

Signed by Vinay Shankar Pandey
Date: 16-03-2024 11:21:15

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

ID-2-6/OTH/79/2022-VII-A-2-Industrial Development Department

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या– 141 /ई0–27918 / VII-A-2 / 2024 / (04–उद्योग / 2017)
देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, सहकारिता, कृषि एवं कृषक कल्याण, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ निजी सचिव–औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. निदेशक, ऑडिट, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रोड, रिंग रोड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
9. कम्पनी सचिव, सिडकुल।
10. संयुक्त सचिव, ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

Signed by Shiv Shankar Mishra
Date: 16-03-2024 11:27:04

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।